



Neutral Citation No. - 2026:AHC:22963

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - **2445/2026**

सत्यदीनयाची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्यप्रत्यर्थागण

याची के अधिवक्ता : साधु शरण

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता : आजाद राय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता, संदीप कुमार

न्यायालय संख्या - 45

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याची ने वर्तमान याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है कि प्रत्यर्था संख्या 2/अपर आयुक्त (न्यायिक) प्रयागराज मंडल, प्रयागराज को निजी प्रत्यर्थागण द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38(4) के तहत रायर अपील की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया जाए।
2. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त अपील जुलाई, 2025 के महीने में दायर की गई थी, जिसे प्रत्यर्था संख्या 2 ने दिनांक 19.08.2025 के आदेश द्वारा स्वीकार किया था। जब न्यायालय द्वारा याची के अधिवक्ता से यह सवाल पूछा गया कि मामले में क्या तात्कालिकता है और याची का इसमें क्या विधिक अधिकार है, तो वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके और यहाँ तक कि रिट याचिका के साथ आदेश-पत्र भी संलग्न नहीं किए गए हैं।
3. इस स्थिति को देखते हुए, यह रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

3 फरवरी, 2026

सकलन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"